न्यायालय: श्री रत्नेश कुमार द्विवेदी

न्यायिक दण्डाधिकारी (प्रथम श्रेणी), मुंगेर

सामान्य पंजी वाद संख्या: 366/2022

हरपुर थाना कांड संख्या: 51/2022

बिहार सरकार (द्वारा सूचिका सुमन देवी) *बनाम* **राहुल कुमार एवं अन्य**

04.07.2024: वाद की पुकार लगाई गई। पुकार पर सूचिका उपस्थित है । अभियुक्तगण सुशीला देवी, मिशा देवी @ मीना देवी , प्रियंका देवी एवं सौरभ कुमार की ओर से हाजिरी है। अभियुक्त राहुल कुमार एवं नीतीश कुमार की ओर से प्रतिनिधित्व आवेदन दाखिल किया गया है जिसे आज के लिए स्वीकार किया जाता है। अभिलेख का अवलोकन किया । आज उभय पक्षों की ओर से दिनांक 18.08.2022 को दाखिल संयुक्त समझौता आवेदन को प्रचालित किया गया । सुना । अभिलेख का अवलोकन किया । उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण निवेदन करते हैं कि-

1. उभय पक्षों के शुभचिन्तकों, रिश्तेदारों एवं समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के प्रयास से दोनों पक्षों के मध्य इस वाद में मेल-मिलाप हो गया है ;
2. उभय पक्षों ने अपने सारे विवाद न्यायालय से बाहर सुलझा लिए हैं तथा अब उनके बीच कोई विवाद शेष नहीं रह गया है ;
3. उपरोक्त वाद हरपुर पुलिस द्वारा धारा 341, 323, 504, 506, सपठित धारा 34 भा०द०वि० के अंतर्गत दर्ज किया गया था और सभी धाराएँ सुलहनीय हैं ;
4. उक्त संयुक्त समझौता आवेदन पर दोनों पक्षों एवं उनके अधिवक्तागणों ने अपना हस्ताक्षर स्वेच्छया बना दिया है अत: उक्त समझौता आवेदन को स्वीकार करते हुए न्यायालय द्वारा इस वाद को सुलह के माध्यम से निस्तारित किया जाय।

अभिलेख का अवलोकन किया । अवलोकन से विदित होता है कि में भा०द०वि० की धारा 323, 504 एवं 506 सपठित धारा 34 के अंतर्गत दिनांक 18.10.2022 को संज्ञान लिया गया था उक्त सभी धाराएँ धारा 320(1) द०प्र०सं० के प्रभाव से स्वत: सुलहनीय हैं । आज सूचिका स्वयं न्यायालय के सम्मुख उपस्थित होकर सुलह की संपुष्टि भी करती हैं । चूँकि इस वाद में सूचिका की अभिरुचि शेष नहीं रह गई है ऐसी परिस्थिति में इस वाद को लंबित रखने का कोई औचित्य शेष नहीं बचता है अत: सभी अभियुक्तगण यथा **1. सुशीला देवी, 2. मिशा देवी @ मीना देवी, 3. प्रियंका देवी, 4. सौरभ कुमार 5. राहुल कुमार एवं 6. नीतीश कुमार** को भा०द०वि० की धारा 323, 504, 506 सपठित धारा 34 के आरोपों से धारा 320(1) द०प्र०सं० सपठित धारा 320(8) द०प्र०सं० के प्रभाव से **दोषमुक्त (Acquit)** किया जाता है तथा उनके प्रतिभुओं को बन्ध-पत्र के दायित्वों से मुक्त किया जाता है।

तदनुसार वाद निस्तारित हुआ। कार्यालय अभिलेख को नियमानुसार ससमय अभिलेखागार में जमा करें।

रत्नेश कुमार द्विवेदी
न्या० दण्डा० (प्र० श्रे०)
मुंगेर।